कार्यालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा–पत्र

उनवान बद्रीलाल बनाम मोहनलाल

किस्म मुकदमा धारा-225 अपील संख्या 2022/40

अभिभाषक अपीलान्ट [illegible] अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
11.2.25	अभिभाषक अपीलान्ट / रेस्पोडेन्ट उपस्थित (अंतिम अवसर) अनुपस्थित बहस हेतु समय चाहा गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25.2.25 को पेश हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	
25.2.25	पत्रावली वास्ते बहस हेतु पेश हुई अपीलांटगण एवं उनके अभिभाषक को तीन बार रुक-रुक आवाजें लगवायी गयी, फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। चूंकि ~~आदि~~ अपीलांट को बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। चूंकि अपीलांट पूर्व में दिनांक 3.9.24, 1.10.24, 27.1.25 एवं 11.2.25 को भी अनुपस्थित रहे है। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा कैम्प ~~[illegible]~~

1. बद्रीलाल आत्मज श्री पोखरीलाल आयु– 70 वर्ष, जाति– ब्राहम्ण

2. हरिओम आत्मज श्री बद्रीलाल आयु– 45 वर्ष, जाति– ब्राहम्ण,

3. विजय कुमार आयु– 40 वर्ष आत्मज श्री बद्रीलाल, जाति– ब्राहम्ण

निवासीगण– पचेलकलां तहसील अन्ता जिला बारां राज0

––अपीलान्ट्स

––बनाम––

1. मोहनलाल आयु– 55 वर्ष पुत्र श्री धुलीलाल, जाति– बैरवा निवासी– पचेलकलां तहसील अन्ता जिला बारां राज0

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अन्ता जिला बारां राज0

––रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत आदेश 43 नियम 1 सी.पी.सी.

निर्णय दिनांक– 06.09.2021

बउनवानी प्रकरण बद्रीलाल बनाम मोहनलाल

मान्यवर,

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण अपीलान्ट के द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा– 88, 89, 90, 91 व 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का वाद उपखण्ड अधिकारी मांगरोल में दायर किया था, जिसमें अपीलान्ट ने यह निवेदन किया कि उसकी आराजीयात् खसरा नम्बर– 1452/1673 रक्बा 1.76 हैक्टेयर स्थित है। जिसका पूर्व खसरा नम्बर– 1239 हैं। जिसको वादीगण व उसके पूर्वज काश्त करते चले आ रहे थे, और खातेदार कृषक